पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

7/7/17 वकील फरीदेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते जिरह उजरदार दिनांक 11/9/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

11/9/17 वकील फरीदेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते जिरह उजरदार दिनांक 27/10/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

27/10/17 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 27/10/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 17/11/17 को की जावेगी।

17/11/17 वकील फरीदेन उपस्थित। इस्तगासा के गवाह सं. 1 को जबानदेही पेश किये गये जिनसे सं. 1 वादी एम.एल.ए. व्यास बिशन शर्मा को विपक्षी जानते हैं। उजरदार की तरफ से सं. 1 की कार्यवाही में चल रहे थे। गवाह सं. 1 विपक्षी को। उजरदार की जानकारी में नहीं रहते हैं। गवाह कार्यवाही दिनांक तक जारी रखा फैसला सुना देना नजरानेदार को शरीक रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली